



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2026 ई0 (फाल्गुन 30, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-12

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	149—154	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	71—74	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	125—127	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना)

06 मार्च, 2026 ई0

संख्या—303 / XXXi(15)G/2026-13(सा10) / 2025—राज्यपाल, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(i) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए अधिसूचित अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में निम्नानुसार पुनःप्रकाशित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:—

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

का.आ. 353 (अ).— केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 120(अ) तारीख 7 जनवरी, 2020 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अनुदेश देती है कि वे सभी जनगणना अधिकारी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात्:—

1. भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)।
2. जनगणना मकान नंबर।
3. जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री।
4. जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री।
5. जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री।
6. जनगणना मकान के उपयोग।
7. जनगणना मकान की हालत।
8. परिवार क्रमांक।

9. परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या।
10. परिवार के मुखिया का नाम।
11. परिवार के मुखिया का लिंग।
12. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है।
13. मकान के स्वामित्व की स्थिति।
14. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या।
15. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या।
16. पेयजल का मुख्य स्रोत।
17. पेयजल स्रोत की उपलब्धता।
18. प्रकाश का मुख्य स्रोत।
19. शौचालय की सुलभता।
20. शौचालय का प्रकार।
21. गंदे पानी की निकासी।
22. स्नानगृह की उपलब्धता।
23. रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता।
24. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन।
25. रेडियो/ट्रांजिस्टर।
26. टेलीविजन।
27. इंटरनेट सुविधा।
28. लैपटॉप/कंप्यूटर।
29. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन।
30. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड।
31. कार/जीप/वैन।
32. परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज।
33. मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)।

[(फा.सं. 9/8/2025-सीडी (सीइएन)]
मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No-303/XXXVI(15)/2026-13(सा०)/2025, Dated- March 06, 2026 for general information.

March 06, 2026

No. 303/XXXVI(15)/2026-13(सा०)/2025-In exercise of the powers conferred under rule 8(i) of the Census Rules 1990, the Governor is pleased to allow to republish the notification for collecting information through the houselisting and housing census schedule in connection with the Census of India 2027 notified by the Central Government, in the official gazette of the State of Uttarakhand as follows, namely:-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd January, 2026

S.O. 353(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 120(E), dated the 7th January 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii). dated the 9th January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby instructs that all the Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed, ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the houselisting and housing census schedule in connection with the Census of India 2027 namely:-

1. Building number (Municipal or local authority or census number).
2. Census house number.
3. Predominant material of floor of the census house..
4. Predominant material of wall of the census house.
- 5.. Predominant material of roof of the census house.
6. Ascertain use of census house.
7. Condition of the census house.

8. Household number.
9. Total number of persons normally residing in the household.
10. Name of the head of the household.
11. Sex of the head of the household.
12. Whether the head of the household belongs to Scheduled Caste/
Scheduled Tribe/Other.
13. Ownership status of the census house.
14. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household.
15. Number of married couple(s) living in the household.
16. Main source of drinking water.
17. Availability of drinking water source.
18. Main source of lighting.
19. Access to latrine..
20. Type of latrine.
21. Waste water outlet.
22. Availability of bathing facility.
23. Availability of kitchen and LPG/PNG connection.
24. Main fuel used for cooking.
25. Radio/Transistor.
26. Television.
27. Access to internet.
28. Laptop/Computer.
29. Telephone/Mobile Phone/Smartphone.
30. Bicycle/Scooter/Motorcycle/Moped.
31. Car/Jeep/Van.
32. Main Cereal consumed in the household.
33. Mobile Number (for census related communications only).

[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and Census Commissioner, India

By Order,

ANAND BARDHAN,

Chief Secretary.

राजस्व अनुभाग—3

शुद्धि पत्र

12 मार्च, 2026 ई0

संख्या—147/XVIII(3)/2026-03(06)/2016—उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-855/XVIII(3)/2019-03(02)/2016 दिनांक: 19.11.2019 में, शब्द, अंक और चिन्ह "241.441 हेक्टेयर" जहाँ-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर शब्द, अंक और चिन्ह "638.510 हेक्टेयर" पढ़ा जाए।

2— उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी।

डॉ0 सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No 147/XVIII (3)/2026-03(06)/2016 Dated-March 12, 2026 for general information.

Corrigendum

March 12, 2026

No. 147/XVIII (3)/2026-03(06)/2016--In the notification no. 855/XVIII(3)/2019-03(02)/2016, dated November 19, 2019 of Uttarakhand Government, for the word, figure and sign "241.441 Hectare", wherever they occur, the word, figure and sign "638.510 Hectare" shall be read.

2- The Said notification shall be deemed to be amended to this extent.

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,

Secretary, Revenue.

गृह अनुभाग—1

ई-पत्रावली संख्या: 59680

अधिसूचना

06 मार्च, 2026 ई0

संख्या—1/376665/2026—उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-5(3)(क) के प्राविधानों के अनुक्रम में श्रीमती मीना तिवारी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल में अध्यक्ष के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अपूर्वा पाण्डे,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/80—भाग 1—2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2026 ई0 (फाल्गुन 30, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 23, 2025

No. 263/XIV/a-35/Admin.A/2021--Ms. Priya Shah, Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 18.11.2024 to 07.12.2024 with permission to prefix 17.11.2024 and suffix 08.12.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 23, 2025

No. 264/XIV-a-39/Admin.A/2021--Shri Santosh Pachhmi, the then Judicial Magistrate-III, Haridwar presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ukhimath District Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 28.04.2025 to 24.05.2025 with permission to prefix 27.04.2025 & suffix 25.05.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 23, 2025

No. 265/XIV-a-49/Admin.A/2020--Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 19.05.2025 to 28.05.2025.

NOTIFICATION

July 30, 2025

No. 267/XIV-95/Admin.A/2003--Ms. Kusum, Additional District & Sessions Judge/Special Judge (POCSO), Haridwar, is hereby sanctioned earned leave for 37 days w.e.f. 25.04.2025 to 31.05.2025 with permission to suffix 01.06.2025 to 01.06.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, DEHRADUN

CHARGE CERTIFICATE

July $\frac{15}{16}$, 2025

No. 199/PST/Admn.IV/2025/D.Dun--Certified that after availing the Child Care Leave for 14 Days from 01.07.2025 to 14.07.2025, out of sanctioned leave of 73 days, sanctioned by the Hon'ble Chairman, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun, the charge of Registrar, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been taken over, as denoted hereunder, in the forenoon of 15.07.2025.

KAHKASHA KHAN,

Registrar,

Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

Counter Signature,

JUSTICE U.C. DHYANI,

Chairman,

Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

CHARGE CERTIFICATE

July $\frac{15}{16}$, 2025

No. 202/PST/Admn.IV/2025/D.Dun--Certified that in compliance of the Notification Dated 08.07.2025 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand and Notification No. 1/314106/2025(1)/VIII-1/2025-70(अम) 2001 Part-II (Comp. no. 64303) Dated 15th July, 2025 of the Govt. of Uttarakhand, Labour Department, the charge of the office of the Registrar, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been handed over, as denoted herein, in the afternoon of July 15, 2025.

KAHKASHA KHAN,

Relieved Officer.

Counter Signature,

JUSTICE U.C. DHYANI,

Chairman,

Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

CHARGE CERTIFICATE

July 25, 2025

No. 209/PST/Admn.IV/2025/D.Dun-- Certified that in compliance of the Notification Dated 21.07.2025 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand and Notification No. 306(1)/XXXVI-A-1/2025-18/2000 T.C.-1 Dated 24th July, 2025 of the Govt. of Uttarakhand, Nyay Anubhag-1, the additional charge of the office of the Registrar, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been taken over, as denoted herein, in the forenoon of July 25, 2025.

KAHKASHA KHAN,

H.J.S.

Relieving Officer.

Counter Signature,

JUSTICE U.C. DHYANI,

Chairman,

Uttarakhand Public Services Tribunal,

Dehradun.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITYHIGH COURT CAMPUS, NAINITALNOTIFICATION

August 20, 2025

No. 1862/III(4)-B-2009-10/SLSA/2025--Shri Brijendra Singh, Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned:

1.	Medical Leave for 113 days w.e.f. 08.03.2025 to 28.06.2025.
2.	Earned Leave for 08 days w.e.f. 29.06.2025 to 06.07.2025.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

कार्यालय— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय

कार्यभार प्रमाणक

12 मार्च, 2026 ई0

संख्या—317/बजट/2026—प्रमाणित किया जाता है कि वित्त अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—378244/68271/XXVII(1)/2026, दिनांक 12 मार्च, 2026 जैसे कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में वेतनमान रु0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/— (सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन स्तर—12, रु0 78800—209200) के पद पर आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को अपरान्ह में संयुक्त निदेशक का पद भार ग्रहण कर लिया गया है।

अमित वर्मा,
संयुक्त निदेशक।

प्रतिहस्ताक्षर,
दिलीप जावलकर,
निदेशक।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2026 ई० (फाल्गुन 30, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

BEFORE marriage my name was VIMLA RANI D/o GURUMUKH RAM but after marriage I have changed my name from VIMLA RANI to VAISHNAVI due to personal reasons. For all future purposes, I would like to be known and called as VAISHNAVI W/o GOVIND KUMAR R/o Village Sakainiya. PO-Gadarpur, Tehsil-Gadarpur, District-U.S.Nagar (Uttarakhand)

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

VAISHNAVI W/o GOVIND KUMAR
R/o Village Sakainiya. PO-Gadarpur,
Tehsil-Gadarpur, District-U.S. Nagar
(Uttarakhand)

सूचना

मेरे पुत्र Parvez Mohmed के हाईस्कूल अनुक्रमांक 0022262 में त्रुटिवश पुत्र की माता का नाम Walidan Begum गलत दर्ज हो गया है। जबकि माता का सही नाम Wahidan Begum है। जो पुत्र बी०एड० के शैक्षिक प्रमाण-पत्र के अनुक्रमांक नं. 16245106063 व माता के आधार कार्ड नं० 6208 8223 0851 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को Parvez Mohmed S/o Wahidan Begum के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Wahidan Begum W/o Rafik Momammad
निवासी-आर्केडिया ग्रांट टीईए स्टेट प्रेम नगर रोड़,
नियर एम०एस०फार्म हाउस गोरखपुर प्रेमनगर देहरादून
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे सिंचाई विभाग की सेवा पुस्तिका EMPLOYEE CODE. 48010413M00311 में मेरा नाम सच्चिदानन्द चमोला दर्ज है। जबकि मेरे आधार कार्ड नं० 7663 0186 8379 व पेन कार्ड नं० ELZPS2256A में मेरा नाम सच्चिदानन्द (SACHIDANAND) दर्ज है। सच्चिदानन्द चमोला उर्फ सच्चिदानन्द (SACHIDANAND) ये दोनों मेरे ही नाम हैं। भविष्य में मुझे दोनों ही नामों से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सच्चिदानन्द चमोला उर्फ सच्चिदानन्द (SACHIDANAND)
पुत्र स्व० गोविंदराम चमोला निवासी-मंजोली बनाणी पौड़ी
गढ़वाल उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 3765-1692-3877 में त्रुटिवश उसका नाम प्रीधी तोमर (PRIDHI TOMAR) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा पुत्री का वास्तविक नाम परिधि तोमर (PARIDHI TOMAR) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र सं० R-138 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं. UK25ESO100038885 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को परिधि तोमर (PARIDHI TOMAR) पुत्री आनन्द सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

आनन्द सिंह
निवासी-वार्ड नं० 09, रानीपोखरी देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 769265400057 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम चिन्दू (CHINTU) दर्ज हो गया है। जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अंशुमन सिंह (ANSHUMAN SINGH) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. B-2018:9-90686-003819 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को अंशुमन सिंह (ANSHUMAN SINGH) पुत्र श्रीमती आशा पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्रीमती आशा पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार
निवासी गली नं० 20, कृष्णा नगर, रुड़की, सलेमपुर,
राजपुतान, जिला—हरिद्वार, राज्य—उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 808769681584 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम मानशवी सैनी (Manshivi Saini) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अविशा सैनी (Avisha Saini) है। जोकि उसके स्थाई निवास प्रमाण—पत्र संख्या UK25ES0100000965 एवं जाति प्रमाण—पत्र संख्या UK23ES0800367504 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अविशा सैनी (Avisha Saini) पुत्री संदीप कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

संदीप कुमार
निवासी—ग्राम हद्दीपुर ग्रन्ट, हरिद्वार, सोहलपुर
सिकरोदा, उत्तराखण्ड।